



भारत निर्वाचन आयोग

प्ररूप-8क

अभिस्वीकृति सं.

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 13 (4) और 26 देखिए)

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन (एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के मामले में)

सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए नवीनतम फोटो (3.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) चिपकाने के लिए स्थान)
मैं निवेदन करता हूँ कि उपरोक्त निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में आने वाली मुझसे संबंधित प्रविष्टि, इस निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली के सुसंगत भाग में अन्यत्र रख दी जानी चाहिए क्योंकि मैंने अपना मामूली निवास स्थान उसी निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित कर लिया है:-		
आवेदनकर्ता की विशिष्टियां		
(क) नाम		
(ख) उपनाम (यदि कोई हों)		
(ग) भाग सं.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(घ) क्र.सं. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
(ङ) ईपीआईसी सं. (यदि जारी किया गया हों)		
(च) ई-मेल : (वैकल्पिक)		
(छ) मोबाइल नं. (वैकल्पिक)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
(ज) वर्तमान मामूली निवास जहां स्थानांतरण किया है	मकान सं.	
गली/क्षेत्र/स्थान		
शहर/ग्राम		
डाक घर	पिन कोड	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
जिला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	

घोषणा— मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। मुझे ज्ञात है कि ऐसा कथन या घोषणा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है।

स्थान

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन करने वाले क्षेत्र स्तरीय अधिकारी की टिप्पणियां :

**की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा)**

श्री/श्रीमती/कुमारी के निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों को अन्यत्र रखने के संबंध में उनका/श्री/श्रीमती/कुमारी के प्ररूप 8क में आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार कर दिया गया है।

स्वीकार किए जाने या अस्वीकार किए जाने के [नियम 26 (4) के अधीन या अनुसरण में] विस्तृत कारण नीचे दिए गए हैं :-

स्थान :

तारीख :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के हस्ताक्षर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर की मुद्रा

लिए गए निर्णय की संसूचना (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा और आवेदनकर्ता के द्वारा दिए गए पते पर डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा)

श्री/श्रीमती/कुमारी का प्ररूप 8क में आवेदन।				डाक स्टांप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रेषण के समय
वर्तमान पता जहां आवेदक मामूली निवास करता है।	मकान नं.			
गली/क्षेत्र/मोहल्ला				
नगर/गांव				
डाक घर	पिन कोड	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
जिला	राज्य/संघ	राज्य क्षेत्र		
(क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी के नाम को भाग सं. से हटा दिया है और सभा निर्वाचन क्षेत्र के भाग सं. के क्रम संख्या पर रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।				
(ख) कारण से अस्वीकृत कर दिया गया है।				
तारीख :				निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर पता

आवेदन की अभिस्वीकृति/रसीद

अभिस्वीकृति सं.

तारीख

श्री/श्रीमती/कुमारी का प्ररूप 8क में आवेदन प्राप्त हुआ है। (आवेदक आवेदन की स्थिति की अभिस्वीकृति संख्या को निर्दिष्ट करते हुए जांच कर सकता है।

ईआरओ/ईआरओ/ईईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

दावाकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदन प्ररूप-8क भरने के लिए दिशा-निर्देश

प्ररूप-8क

प्ररूप-8क कैसे भरा जाना चाहिए-

1. आवेदन उस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए जिसमें संगत प्रविष्टि का स्थान-विनियम अपेक्षित है। निर्वाचन क्षेत्र के नाम का रिक्त स्थान में उल्लेख किया जाना चाहिए।
2. आवेदन के मद (क) और (ख) में आवेदक को, निर्वाचक नामावली में यथा-विद्यमान, अपना नाम लिखना चाहिए। यदि निर्वाचक नामावली में मुद्रित आवेदक के नाम के आद्यक्षर संक्षिप्त रूप में हैं और वे उसे विस्तृत रूप में मुद्रित कराना चाहते हैं तो वे अपना पूरा नाम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। पहले खाने में उपनाम को छोड़कर शेष पूरा नाम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। पहले खाने में उपनाम को छोड़कर शेष पूरा नाम लिखा जाना चाहिये तथा उपनाम दूसरे खाने में लिखा जाना चाहिये। यदि आवेदक का कोई उपनाम नहीं है तो केवल दिया गया नाम ही अंकित करें। जाति का उल्लेख सिर्फ वही किया जाना है, जहां जाति का नाम निर्वाचक के नाम के भाग के रूप में अथवा उपनाम के रूप में प्रयुक्त है अन्यथा नहीं। सम्मानसूचक पदवियां जैसे श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित इत्यादि उल्लिखित नहीं की जानी चाहिए।
3. आवेदन का मद (ग) और (घ) निर्वाचक नामावली के जिस भाग में पहले से ही पंजीकृत हैं उसका नाम, भाग संख्या और क्रम संख्या और निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक)सं. पूर्ण रूप से भरें (जैसा कि निर्वाचक नामावली में मुद्रित है)।
4. आवेदन के भाग (छ) में कृपया उस नये स्थान का पूरा पता लिखें जहाँ आवेदक/संबंधित व्यक्ति ने निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर सामान्य निवास का अपना स्थान स्थानांतरित कर लिया है। कृपया अपूर्ण पता न लिखें क्योंकि ऐसा होनेपर सम्भव है कि पते को निर्वाचक नामावली के उस संगत भागसे संयोजित करना सम्भव न हो जिसमें प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जानी अपेक्षित हो।
5. सूचना अंशों पर पूरा नाम एवं पता दिया जाना चाहिए। आवेदक प्ररूप में अपना मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी दें, जो ऐच्छिक है, क्योंकि यदि ये दिए जाते हैं तो इनका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जरूरत पड़ने पर आवेदक के साथ आगे पत्र व्यवहार करनेके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रतिस्थापन एपिक

यदि आवेदक नए पते के साथ प्रतिस्थापन एपिक चाहते हैं तो उसे प्ररूप 8क के आधार पर नए स्थान पर पंजीयन होने के बाद प्ररूप एपिक-001 में आवेदन (अनुबंध-1 के रूप में दिए गए फार्मेट के अनुसार) प्रतिस्थापन एपिक के लिए अपेक्षित शुल्क, और पुराने एपिक के साथ आवेदन करना चाहिए।